डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– अमन चौधरी आर.ए.एस

1. इस्लाउद्दीन पुत्र निजामुद्दीन	}	उनवान जाति मुसलमान
2. राजिया बेगम पत्नि निजामुद्दीन		निवासी काजीपाडा टोडाभीम
3. फहीमा पुत्री निजामुद्दीन		तह0 टोडाभीम जिला करौली राज

वादी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम, तहासील टोडाभीम, जिला करौली

प्रतिवादी

दावा बाबत् वावत घोषणा खातेदारी नाम दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 आर टी0 एक्ट एवम 136 आर0. टी0 एक्ट

मु0न0ः– 135 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट एवं हमारे मिनजानिब .... मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

ग्राम असरो पं0ह0 भूडा के खाता 198 सम्वत 2075–2078 आराजी ख0 नं0 736 रकवा 0.01 है0 737 रकवा 1.53 है0 में वादीगण का नाम **इस्लाउद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, राजिया बेगम पत्नि निजामुद्दीन, फहीमा पुत्री निजामुद्दीन** के स्थान पर **इस्लाउद्दीन उर्फ इस्लामुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, राजिया बेगम उर्फ रजिया बेगम पत्नि निजामुद्दीन, फहीमा उर्फ फातिमा पुत्री निजामुद्दीन** अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ निर्णय प्रति भिजवाया

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, टोडाभीम, जिला-करौली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

जावें। उक्त आदेश वादी द्वारा पेश किये गए दस्तावेजों की सत्यता के आधार पर ही प्रभावी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी वादी स्वंय की होगी।

निज.....................मुबलिंग...........................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.02.2026 को जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 135 / 2025

तारीख रजू :– 23.09.2025

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

1. इस्लाउद्दीन पुत्र निजामुद्दीन
2. राजिया बेगम पत्नि निजामुद्दीन
3. फहीमा पुत्री निजामुद्दीन

जाति मुसलमान
निवासी काजीपाडा टोडाभीम
तह0 टोडाभीम जिला करौली राज

वादी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम, तहासील टोडाभीम, जिला करौली

प्रतिवादी

दावा बाबत् वावत घोषणा खातेदारी नाम दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 आर टी0 एक्ट एवम 136 आर0. टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट वादी

2. पैरोकार संरकार तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः– 26.02.2026

वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम असरो पं0 हं0 भूडा तह0 टोडाभीम के खाता संख्या 198 सम्वत 2075–2078 आराजी खं0 नं0 736 रकवा 0.01 है0 737 रकवा 1.53 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.54 है0 ग्राम असरो पं0 ह0 भूडा तह0 टोडाभीम में स्थित है। वादीगण ग्राम टोडाभीम के निवासी है उक्त आराजी वादीगण को अपने पिता व पति निजामुद्दीन से विरासत के रूप में मिली है वादीगण के पिता व पति निजामुद्दीन की विरासत खोलते समय के उनकी पुत्री फौजिया का नाम तो सही खोल दिया लेकिन वादी नं0 1 का नाम **इस्लाउद्दीन पुत्र निजामुद्दीन** के स्थान पर **इस्लामुद्दीन** अंकित कर दिया इसी प्रकार वादी नं0 2 **राजिया बेगम के स्थान पर रजिया** बेगम तथा प्रतिवादी नं0 3 **फहीमा के स्थान पर फतिमा** अंकित कर दिये है जो गलत अंकित किया है जबकि वादीगण के सही नाम इस्लाउद्दीन, राजिया बेगम, फहीमा है जो सही है रेवेन्यू रिकोर्ड में वादीगण के नाम **इस्लामुद्दीन, रजिया बेगम, फमिमा** अंकित कर दिया जो गलत अंकित किया है वादीगण के सही नाम **इस्लाउद्दीन, राजिया बेगम, फहीमा** है जिनको रेवेन्यू रिकोर्ड में दुरूस्त कराने के हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वादी को उक्त गलती का पता चलने पर वादी दिनांक 09.09.2025 को तहसीलदार जी से तहसील कार्यालय में दस्तावेजात आधार कार्ड लेकर मिले तथा रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में नाम दुरूस्त कराने को कहा तो उन्होने साफ इंकार कर दिया और सक्षम न्यायालय से नाम दुरूस्त कराने का आदेश लाने को कहा, इसलिये दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम असरो पं0 ह0 भूडा तह0 टोडाभीम के खाता संख्या 198 सम्वत 2075–2078 आराजी खं0 नं0 736 रकवा 0.01 है0, 737 रकवा 1.53 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.54 है0 ग्राम असरो पं0 ह0 भूडा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0 में वादी नं0 1 का नाम **इस्लामुद्दीन के स्थान पर इस्लाउद्दीन**, इसी प्रकार वादी नं0 2 का नाम **रजिया बेगम के स्थान पर राजिया** बेगम इसी प्रकार वादी नं0 3 का नाम **फतिमा के स्थान पर फहीमा** अंकित किये जाने की घोषणा फरमायी जावे शेष खातेदारान बदस्तूर रहेगे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को पैराकार सरकार (तहसीलदार टोडाभीम) को जरिये सम्मन तलब किया गया है पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार (तहसीलदार टोडाभीम) जबाव पेश किया कि वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 736,737 कुल किता 02 कुल रकबा 1.54 वर्तमान में **इस्लाउद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, राजिया बेगम पत्नि निजामुद्दीन, फहीमा पुत्री निजामुद्दीन** जाति मुसलमान निवासी टोडाभीम के नाम रिकार्ड दर्ज है। वादी का नाम राजस्व का रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 408 के द्वारा निजामुद्दीन पुत्र अब्दूल सलीम की विरासत से इस्लामुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन रजिया बेगम बेगम पत्नि स्व0 निजामुद्दीन फातिमा पुत्री निजामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी टोडाभीम के नाम दर्ज हुआ है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड पहचान पत्र वादी का नाम इस्लाउद्दीन पुत्र निजामुद्दीन राजिया बेगम पत्नि स्व0 निजामुद्दीन फहीमा पुत्री नेजामुद्दीन दर्ज है। भू0 अभिलेख निरीक्षक /पटवारी हल्का के अनुसार **इस्लाउद्दीन पुत्र नेजामुद्दीन, राजिया बेगम पत्नि निजामुद्दीन,फहीमा पुत्री निजामुद्दीन एवं इस्लामुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, :जिया बेगम पत्नि निजामुद्दीन, फातिमा पुत्री निजामुद्दीन** एक ही व्यक्ति है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वादी वकील व पैराकार सरकार की बहस सुनी गई वादी वकील द्वारा दौराने बहस बताया कि खाता संख्या 198 सम्वत 2075–2078 आराजी खसरा नंबर 736,737 में भूमि का विरासत खोलते समय उनकी पुत्री फौजिया का नाम तो सही खोल दिया लेकिन **इस्लामुद्दीन के स्थान पर इस्लाउद्दीन**, इसी प्रकार वादी नं0 2 का नाम **रजिया बेगम के स्थान पर राजिया** बेगम इसी प्रकार वादी नं0 3 का नाम **फतिमा के स्थान पर फहीमा** अंकित कर दिया जो गलत अंकित किया है जबकि वादीगण के सही नाम **इस्लाउद्दीन राजिया बेगम फहीमा है।** बहस दौराने पैरोकार सरकार द्वारा बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड पहचान पत्र वादी का नाम-इस्लाउद्दीन पुत्र निजामुद्दीन राजिया बेगम पत्नि स्व0 निजामुद्दीन फहीमा पुत्री निजामुद्दीन दर्ज है। **इस्लाउद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, राजिया बेगम पत्नि निजामुद्दीन,फहीमा पुत्री निजामुद्दीन एवं इस्लामुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, रजिया बेगम पत्नि निजामुद्दीन, फातिमा पुत्री निजामुद्दीन** एक ही व्यक्ति है।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। खाता संख्या 198 सम्वत 2075–2078 आराजी खं0 नं0 736 रकवा 0.01 है0 737 रकवा 1.53 है0 में वादीगण का नाम **इस्लाउद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, राजिया बेगम पत्नि निजामुद्दीन, फहीमा पुत्री निजामुद्दीन** है। तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट अनुसार **इस्लाउद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, राजिया बेगम पत्नि निजामुद्दीन,फहीमा पुत्री निजामुद्दीन एवं इस्लामुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, रजिया बेगम पत्नि निजामुद्दीन, फातिमा पुत्री निजामुद्दीन** एक ही व्यक्ति है। उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम असरो पं0ह0 भूडा के खाता 198 सम्वत 2075–2078 आराजी खं0 नं0 736 रकवा 0.01 है0 737 रकवा 1.53 है0 में वादीगण का नाम **इस्लाउद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, राजिया बेगम पत्नि निजामुद्दीन, फहीमा पुत्री निजामुद्दीन** के स्थान पर **इस्लाउद्दीन उर्फ इस्लामुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, राजिया बेगम उर्फ रजिया बेगम पत्नि निजामुद्दीन, फहीमा उर्फ फातिमा पुत्री निजामुद्दीन** अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

टोडाभीम को तहरीर के साथ निर्णय प्रति भिजवाया जावें। उक्त आदेश वादी द्वारा पेश किये गए दस्तावेजों की सत्यता के आधार पर ही प्रभावी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी वादी स्वंय की होगी। डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अमन चौधरी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली